समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
पत्रांक–..................दिनांक–...............

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, ।

विषयः– **प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजन समूह हेतु आयोजित बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना को शामिल होने के संबंध में।**

प्रसंगः– **अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक–954/आ0नि0को0 दिनांक–28.08.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना का पूर्वी चम्पारण जिला में निर्धारित भ्रमण, समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय का कार्यक्रम इस कार्यालय के पत्रांक–90 दिनांक–05.09.2019 द्वारा भेजा जा चुका है। प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांजन समूह का गठन किया जाना है। समूह में 18–40 आयु वर्ग के कम से कम पॉच सदस्य होने चाहिए। उक्त समूह में दिव्यांगता का 21 प्रकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता में से कम से कम पॉच अलग–अलग प्रकार के दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होना है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में उक्त समूह का गठन कर दिनांक–16.09.2019 तक गठन से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र–I में सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण के E-mail ID-addsscmot@gmail.com पर प्रेषित करेंगें (प्रपत्र–I की प्रति संलग्न)। साथ ही यह भी सूचित करना है कि दिनांक–17.09.2019 से 19.09.2019 को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय आयोजित होने वाले बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना स्वयं भाग लेगें। दिनांक–17.09.2019 को (07:00 AM से 03:00 PM) संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (**चिरैया/ढाका/घोडासहन/छौडादानों/आदापुर/रक्सौल/रामगढवा एवं सुगौली**), दिनांक–18.09.2019 को (07:00 AM से 10:00 AM) को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी **(पीपराकाठी/चकिया एवं कोटवा)** तथा दिनांक–19.09.2019 को (07:00 AM से 09:00 AM) को संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी **(मोतिहारी सदर**

एवं बंजरिया) बैठक में पंचायत समूह से कम से कम दो (2) दिव्यांगजन उपस्थित रहेंगें (समय सारणी संलग्न) तथा शेष प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह गठन से संबंधित प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगें।

अतः अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना के निर्देशानुसार सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी निर्धारित तिथि अनुसार बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगें साथ ही उक्त बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, मनरेगा PO, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांकः— 384 दिनांक 13.09.19

प्रतिलिपिः—राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.9.19

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।